दैनिक जागरण

स्मृतियां अक्षुण्ण रहना ही अमरता है

बौखलाया पाकिस्तान

अनुच्छेद 370 को बेअसर करके जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भारत सरकार की ऐतिहासिक पहल पर पाकिस्तान जिस तरह भड़का हुआ था उसे देखते हुए यह तय था कि वह कुछ न कुछ करेगा। तमाम गर्जन-तर्जन के बाद उसने जिस तरह भारत से राजनयिक संबंधों का दर्जा कम करने और व्यापारिक संबंध तोड़ने का फैसला किया उससे भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं। आखिर यह भारत ही था जिसने पुलवामा हमले के बाद व्यापार के मामले में पाकिस्तान का सबसे तरजीही राष्ट्र का दर्जा खत्म किया था। इसके बाद पाकिस्तान से होने वाले सीमा व्यापार को भी निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उसके जरिये मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। चूंकि भारत के इन कदमों के बाद द्विपक्षीय व्यापार न के बराबर रह गया था इसलिए उसे खत्म करने की पाकिस्तान की घोषणा का कोई मतलब नहीं। जहां तक राजनयिक स्तर घटाने की बात है तो सच्चाई यह है कि सुरक्षा मामलों के भारतीय विशेषज्ञ एक अर्से से यह मांग कर रहे थे कि पाकिस्तान से राजनयिक संबंध घटाए जाने चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान ने वह काम किया जिसके लिए भारत सरकार से अपील की जाती थी।

ऐसा लगता है कि बौखलाहट में आए पाकिस्तान को कुछ सूझा नहीं और इसीलिए उसने ऐसे फैसले ले लिए जो उस पर ही भारी पड़ सकते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को दबाव में लेने के इरादे से भारतीय यात्री विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र लंबे समय तक बंद रखा और जब भारत सरकार इस पाबंदी से बेपरवाह रही तो उसने मजबूरी में अपने फैसले को पलटा। पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की भी बात कर रहा है। वह जिस तरह द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने को स्वतंत्र है उसी तरह सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाने के लिए भी। वह शायद इस हकीकत से आंखें मूंदे रहना चाहता है कि कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अब महज कागज का एक टुकड़ा भर रह गया है। उसे यह भी समझ आना चाहिए कि इस प्रस्ताव को निष्प्राण करने मे सबसे बड़ी भूमिका उसी की रही है। पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया, बल्कि इस जरूरी शर्त को भी पूरा करने से इन्कार किया कि जनमत संग्रह के लिए पहले उसे अपने कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज हटानी होगी। पाकिस्तान के नीति-नियंता कुछ भी कहें, सच यही है कि उनके बौखलाहट भरे फैसलों से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।

तंबाकू के दुष्परिणाम

शराब लोगों के स्वास्थ्य को लीलने के साथ ही उनके परिवार को मानसिक पीड़ा देती है। दो साल पहले शराब का निर्माण और इसके सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगने के बाद बिहार को इस सामाजिक बुराई से लगभग निजात मिल चुकी है। शराबमुक्त बिहार के लिए राज्य सरकार के कड़े कानून को लागू कराने का जिम्मा बिहार पुलिस के कंधे पर ही है। अब उसे तंबाकू के खिलाफ भी सघन अभियान चलाने की जिम्मेदारी निभानी है। तंबाकू का सेवन शराब से ज्यादा परेशानी देता है। दरअसल इसका सेवन हर उम्र के लोग करते हैं। स्कूली बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोर्ट में समय-समय पर प्रशासन-पुलिस और सरकार को फटकार भी मिलती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। तंबाकू से दमा, खांसी, टीबी आदि रोगों का होना आम है, अब यह लोगों को मुंह का कैंसर भी दे रही है। इसके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर को देखते हुए केंद्र के कानून कोटपा के तहत नियंत्रण के अलावा राज्य सरकार ने गुटखा पर प्रतिबंध तक लगा रखा है, परंतु इसकी बिक्री रोकने के लिए जिम्मेदार महकमा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया। नतीजतन चौक-चौराहों, मोहल्ले, स्टेशनों और बस स्टैंड के अलावा शिक्षा संस्थानों के निकट इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। बहरहाल एक कहावत है कि जब जागो, तब सवेरा, बिहार पुलिस भी निद्रा त्यागकर तंबाकू के खिलाफ सघन अभियान चलाने को सजग हुई है। एडीजी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि स्कूलों के सौ गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो। अभियान को गति के लिए हर जिले में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बैठक में पुलिसजनों को तंबाकू नियंत्रण के गुर भी सिखाए गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपराध अनुसंधान विभाग, राज्य सरकार और सोशियो इकोनोमिक एंड एजुकेशनल सोसाइटी (सीड्स) के संयुक्त तत्वावधान में हुई बैठक के सकारात्मक नतीजे जरूर सामने आएंगे। तंबाकू उद्योग का सबसे सॉफ्ट टारगेट बच्चे और युवा होते हैं। ये देश का भविष्य हैं। इन्हें बचाना आवश्यक है। लिहाजा नियंत्रण के लिए बने कानून कोटपा को सख्ती से लागू कराने की दिशा में पुलिस को हर जोग-जतन करना चाहिए जिससे देश में एक और बुराई को रोकने में बिहार अगुआ साबित हो।

कश्मीर में शांति और सुरक्षा की चुनौती

राजीव मिश्रा

भारत सरकार को घाटी के विकास की चिंता करने के साथ ही वहां के लोगों को भरोसा दिलाने की भी पहल करनी होगी

अवधेश राजपूत

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35 ए से आजादी मिल गई, लेकिन दशकों की हिंसा ने प्रदेश में एक खाली स्थान पैदा किया है। इस खाली स्थान पर अलगाववादियों और पाकिस्तानपरस्त तत्वों ने कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने यह कोशिश इसीलिए की, क्योंकि मुख्यधारा के राजनीतिक दल रह-रह कर उनकी ही भाषा बोलते रहे। स्पष्ट है कि इस खाली जगह को भरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इस क्रम में वहां एक ऐसा राजनीतिक विकल्प भी पैदा करना होगा जो अलगाववादियों से प्रेरित न हो और न ही उनके दबाव में आए। इसी तरह सुशासन और शांति स्थापित करने के साथ-साथ भारत सरकार को वहां के युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन करने के अलावा स्थानीय लोगों के बीच सद्भावना का माहौल बनाने की दरकार होगी। इसके साथ ही राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और निजी क्षेत्र में भारतीय उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके लिए सब्सिडी के नए प्रावधान को विकसित करने की आवश्यकता होगी। भारत सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मामले में जिस तरह गंभीर और संवेदनशील नजर आ रही है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अगले पांच वर्षों में कश्मीर में शांति और सुरक्षा से जुड़े मामले सुलझा लिए जाएंगे और संपूर्ण क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा, लेकिन यह काम आसानी से तब होगा जब कश्मीर के लोगों को यह भरोसा दिलाने में सफलता मिलेगी कि जो कदम उठाए गए हैं वे उनकी भलाई के लिए हैं। इस मामले में शेष देश के लोगों को भी सतर्क और संवेदनशील रहना होगा। कश्मीरियों को यह संदेश देने की जरूरत है कि उनकी पहचान अनुच्छेद 370 और 35-ए से नहीं थी और न हो सकती है। उनकी पहचान तो उस कश्मीरियत से है जो भारतीयता का हिस्सा है। कश्मीरियों को यह संदेश देने की भी जरूरत है कि पाकिस्तान उनकी बर्बादी की जड़ है। यह संदेश देने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इसे आसान बनाना ही होगा। यह अच्छा हुआ कि गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा के साथ यह भी आश्वासन दिया कि हालात सुधरने पर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।

अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने से पहले घरेलू स्तर पर जितनी तैयारी की जरूरत थी उतनी ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का रुख अनुकूल रहे। भारत के राजनयिक समय रहते दुनिया के प्रमुख देशों के राजदूतों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय हो गए थे। अब यह साफ है कि वे अनुच्छेद 370 और 35-ए के उन्मूलन के कारणों एवं परिस्थितियों पर विश्व समुदाय को सकारात्मक संदेश देने में सफल रहे। माना जाता है कि मोदी ने दोबारा सत्ता में आने के साथ ही कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी थी और अपने संभावित कदम को लेकर वैश्विक समुदाय को टटोलना भी शुरू कर दिया था। शायद इसी कवायद के चलते विश्व समुदाय की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नजर आईं।

यह और अधिक उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने कश्मीर में परिवर्तन के भारत के कदम को उसका आतंरिक मामला करार दिया। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की बात कर भारत को चिंतित और पाक का मनोबल बढ़ाने का काम किया था। कश्मीर पर अमेरिकी की प्रतिक्रिया पाक के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। अमेरिका के अलावा संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिक्रिया भी भारत का मनोबल बढ़ाने वाली है। इसमें संदेह है कि पाक को संयुक्त राष्ट्र में शोर मचाने से कुछ हासिल होगा, क्योंकि कश्मीर संबंधी उसका प्रस्ताव न जाने कब निष्प्रभावी हो गया था।

पाकिस्तान कुछ भी कहे, सच यही है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। वैसे इस मामले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह सर्वविदित थी, लेकिन उसके संभावित कदमों को लेकर सतर्क रहना होगा। वह बौखलाहट में आकर ऐसा कोई कदम उठा सकता है जो सीमा पर तनाव बढ़ाने वाले हो सकते हैं। यह सही है कि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि अमेरिकी सेना की वापसी की शर्तें पहले ही इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तय हो चुकी हैं। यदि पाकिस्तान को यह लगता है कि वह अमेरिका के साथ कश्मीर बनाम अफगानिस्तान कार्ड खेल सकता है तो शायद वह भ्रम में है। उसे यह समझ आना चाहिए कि अफगानिस्तान से निकलने की चाहत के बाद भी अमेरिका भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। आमतौर पर विदेश नीति के मामले में पश्चिमी देशों का रुख अमेरिकी सोच से प्रेरित रहता है, लेकिन कुछ मामलों में वे अलग स्वर में भी बोलते हैं। कश्मीर के मामले में पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी, इसका अंदाजा उस तब लग गया था जब बीते दिनों भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इजरायल ने कश्मीर में पर्यटन कर रहे अपने नागरिकों को कश्मीर से निकल जाने की अपील की थी। शायद ये देश इससे अवगत थे कि कश्मीर में क्या होने वाला है। हालांकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के सांसदों की ओर से कुछ शोर-शराबा किया गया है, लेकिन यह आधिकारिक ब्रिटिश प्रतिक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं लगती। बावजूद इसके भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए कि रूस और चीन क्या रुख जाहिर करते हैं। माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ के तेवर तीखे नहीं होंगे, क्योंकि भारत के साथ यूरोपीय संघ के देशों के द्विपक्षीय व्यापार हित हैं और मौजूदा माहौल में विदेश नीति में व्यापार की भूमिका बढ़ गई है।

भारत और रूस के बीच हाल में हथियारों के बड़े सौदे हुए हैं और द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई है। इसलिए संभावना बहुत कम है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की कश्मीर नीति पर कोई सख्त रुख दिखाएंगे। चीन ने जरूर विरोध किया है, लेकिन इस विरोध को प्रतीकात्मक विरोध ही माना जाना चाहिए। चीन का विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा महत्व भी नहीं रखता, क्योंकि दुनिया जानती है कि वह सदैव पाकिस्तान की पैरवी करता रहता है। इसके अलावा आतंकवाद और मानवाधिकारों के मामलों में उसका रिकार्ड अच्छा नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चा सध जाने के बाद सरकार के लिए यही आवश्यक है कि वह कश्मीर की सुरक्षा और वहां के विकास की चुनौतियों से पार पाने में जुटे। इसकी उम्मीद की जा सकती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में इस चुनौती का सामना सफलता से किया जाएगा।

(स्तंभकार 'आर्टिकल 370-बून ऑर बेन' के लेखक हैं)

response@jagran.com

आकाशगंगा सी सुषमा स्वराज

तरुण विजय

सुषमा स्वराज भद्रता का प्रतिरूप थीं और इसीलिए उन्हें अटल जी के समान अजातशत्रु कहा-माना गया

जिसने भी सुना, यकीन नहीं कर पाया। बार-बार सोचता और शायद यही मनाता कि खबर झूठी हो, लेकिन नियति को कुछ और स्वीकार था। सुषमा स्वराज का अचानक जाना भरी दुपहरी में अंधेरे का अहसास क्यों करा गया? कारण है सिर्फ उनका स्वभाव, उनकी विद्या और वाणी का सारस्वत प्रभाव, उनकी निरहंकारिता। मुझे गत तीस वर्षों से उन्हें जानने, उनके साथ काम करने, उनका स्नेह पाने का सौभाग्य मिला था। पांचजन्य के प्रत्येक समारोह में सुषमा जी के घर की सरस्वती प्रतिमा का आना अनिवार्य था और उस सरस्वती प्रतिमा को वह आग्रह करके फिर वापस अपनी बैठक में ले भी आती थीं। लद्दाख में 1996-97 में जब मैंने सिंधु उत्सव और दर्शन योजना शुरू की तो उन्होंने दूरदर्शन को कहकर उस पर दस कड़ियों वाली सिंधु गाथा का वृत्तचित्र बनवाया। वह सबके लिए समान चिंता करती थीं। 15 वर्ष पूर्व वह बीमार हुईं। बहुत कष्ट था। कुछ मन में उदासी भी थी। मैं मिलने गया तो बोलीं, 'तरुण जी कुछ नहीं कृष्णेच्छा है- कृष्ण जी जैसा चाहें।' कुछ सप्ताह बाद ठीक हो गईं। फिर एक अंतराल के बाद केंद्रीय मंत्री बनीं। उसी संयम, शालीनता से बोलीं, तरुण जी कृष्ण कृपा है। जैसा कृष्ण जी चाहें।

वह किसी का दुख नहीं देख सकती थीं, किसी को आहत नहीं कर सकती थीं। कभी किसी के लिए उनसे कटुवचन, अभद्र, अशालीन, आक्रामक शब्द प्रयोग न लिखे गए, न सुने गए। अभी कुछ दिन पहले, देश में धर्म जागरण की अलख जगाने वाले संत समान मांगेराम जी गर्ग को श्रद्धांजलि देने वाले उनके ट्वीट पर किसी ने एक घृणित ट्वीट भेजा-उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा का। उसका भी सुषमा जी ने इतना शालीन, भद्र उत्तर दिया कि सब तरफ उसकी चर्चा हो गई। भद्रता बहुत दुर्लभ गुण है। बड़ी होना आसान होगा, पर भद्र होना कठिन है। सुषमा स्वराज भद्रता का प्रतिरूप थीं और इसीलिए उन्हें अटल जी के समान अजातशत्रु कहा-माना गया।

आपातकाल में उन्होंने संघर्ष किया। जेपी आंदोलन में वह सबसे कम आयु की युवा नेता थीं। राष्ट्र सेविका समिति की सेविका के नाते शिविरों में जाना, समिति की अधिकारियों- शांता अक्का, प्रमिला ताई के साथ सतत संपर्क, प्रखर हिंदू धर्म की ध्वजवाहिका, हर तीज त्योहार को राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाना। यह सब साधारण कार्यकर्ताओं, संघ-भाजपा से कभी न जुड़े नागरिकों के मन पर गहरे असर करते थे। करवा चौथ पर उनके यहां जो समागम और व्रत निभाने का उत्सव होता था वह भारतीय परंपरा का शानदार समारोह माना जाता था। रक्षाबंधन पर एक बार मेरी बहन की राखी समय पर नहीं पहुंची। सुषमा जी को पता चला, तुरंत फोन किया-मैं हूं न, मैं बांधूंगी राखी। मैं जीवन में उनके ये शब्द कभी भूल नहीं पाऊंगा। विदेश मंत्रालय का कार्यक्रम हो या व्यक्तिगत समारोह वह स्वयं बिना चूके, अपने अतिथियों को फोन करती थीं। आना है-भूलना मत। भला कौन ऐसा होगा जो इस फोन के बाद भी अनुपस्थित रहे। हर काम को मनोयोग से करना। किसी भी काम में किंचित मात्र भी भूल, लापरवाही, दूसरों पर निर्भरता उन्होंने सीखा ही नहीं था।

दुनिया में विदेश मंत्रालय, दूतावास अक्सर भारतीयों के प्रति रूखे, संवेदनहीन प्रकट होते थे। सुषमा जी ने विश्वव्यापी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय को स्वदेश मंत्रालय में बदल दिया। कोई भी भारतीय, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कुछ भी तकलीफ हो, वह किसी भी समय सुषमा जी को ट्वीट कर सकता था और उसका उत्तर भी मिलता-समाधान सहित। यह उत्तर पाकर अफ्रीका, रूस, यूरोप, अरब, खाड़ी के देश, पाकिस्तान में बैठे भारतीयों की आंखों में आंसू आ जाते। सुषमा बहन, सुषमा दीदी। सुषमा मां.. कैसे-कैसे आभारी कृतज्ञ भारतीय उन्हें दुआएं देते। ईसाई पादरी, मुस्लिम बहनें, बच्चियां, पाकिस्तान की गीता, जर्मनी में सरदारजी, अमेरिका गई नई-नवेली बहू... अनंत कथा हैं सुषमा जी के विश्वव्यापी विदेश मंत्रालय की। कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी जमात, मजहब, संप्रदाय वाला हो, वह सुषमा जी से बात करना, कुछ कहना बहुत आसान और सहज मानता था, मानों वह सुषमा जी से चिरपरिचित हो। बेंजामिन नेतन्याहू, पुतिन, शी चिनफिंग, ओबामा, अरब देशों के शेख-सभी ने सुषमा स्वराज के शिखर को झुककर नमन किया और यह सुषमा जी का व्यक्तित्व था कि इन वैश्विक दिग्गज नेताओं के व्यवहार में सुषमा जी के समक्ष आते ही अद्भुत विनय और आदर का भाव प्रकट होता था। सूचना प्रसारण, स्वास्थ्य और विदेश जैसे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते हुए हर जगह अपनी खास छाप, मेधा और रीति के चिन्ह छोड़े।

25 वर्ष की आयु में मंत्री पद पाईं सुषमा जी 67 वर्ष की आयु तक यानी 42 वर्ष भारतीय राजनीति में अद्भुत गरिमा के साथ देदीप्यमान नक्षत्र जैसी रहीं। वह वस्तुतः ऐसी आकाशगंगा थीं, जो बहुत ऊंचाई से भी सामान्यजन को शीतल, सुखद आत्मीयता का अहसास कराती थीं। उनकी गाथा सार्वजनिक जीवन जी रहे सभी लोगों के लिए एक बड़ा संदेश देती है। ऊंचाई कितनी भी पाओ, पर ध्यान रहे कि तुम्हारे साथ की छाया कभी लुप्त न हो। वाणी की मधुरता को निभाकर सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की सरस्वती पुत्री बन गईं। उनकी कोई तुलना नहीं, कोई विरोधी नहीं, निर्वैर निर्भीक, दृढ़। भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था। जब कर्नाटक गईं तो आनन-फानन कन्नड़ सीखी। गुजरात में गुजराती। तमिल में ऐसी तमिल कि लोग चकित रह गए। मुझसे अक्सर कहतीं कि तुम तमिलनाडु में काम कर रहे हो, मुझे कुछ बताया करो, तमिल संस्कृति बहुत विराट, महान है। पूर्वी एशिया पर उनका विशेष ध्यान था। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पालिसी में बदलना उनका ही योगदान था। देश विदेश, सर्व पंथ समभाव, पर हिंदुत्व का गहरा अभिमान, महिला जागृति, परंपराओं की लीक, भाषाई समृद्धि, भारत शत्रु के लिए रणचंडी, हर भारतीय के लिए मां का प्रतिरूप ऐसी सुषमा अब कहां?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अंतर्द्वंद्व

आज यदि हम अपने चारों ओर नजर घुमाएं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास या दूर का संसार केवल और केवल किसी द्वंद्व में उलझा हुआ सा है। इस विचार से मन भारी हो जाता है कि मानव की इतनी प्रगति के बावजूद समाज में विरोधाभास, असहमति, क्लेश बस यही सब जैसे हाथ लग पाया है। समाज की इकाई होने के नाते जब बात स्वयं पर आती है तो हम पाते हैं कि हमारे खुद के भीतर अथाह अंतर्द्वंद्व व्याप्त है। और यही अंतर्द्वंद्व धीरे-धीरे हमारे चारों ओर के वातावरण को भी लपेट लेता है। हम अपने को वास्तव में दिन रात छोटे-बड़े, उचित-अनुचित सवालों से घिरा पाते हैं। हमारा प्रत्येक निर्णय जो किसी दंड से कम नहीं, निरंतर एक अंतर्द्वंद्व से गुजरता है।

चूंकि ये ऊहापोह हमारे ही भीतर का है, ऐसे में निर्णय कुछ भी हो, हार या जीत स्वयं की ही होती है। हम किसी कठोर निर्णय पर पहुंच भी जाएं तो भी अंतर्द्वंद्व की पैठ इतनी गहरी होती है कि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, वह हमें उतना ही पीछे घसीटती जाती है। छोटे-छोटे आंतरिक संघर्षों में घिरे रहना एक प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। यही अंतर्द्वंद्व हमारे जीवन के बड़े एवं महत्वपूर्ण फैसलों पर हावी होने लगता है। यह अनिश्चतता की स्थिति हमारे व्यक्तित्व को अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है।

यह द्वंद्वात्मक रवैया आजकल बच्चों एवं युवाओं में भी खूब देखने को मिलता है। हर ओर एक विमूढ़, व्याकुल-सी पीढ़ी पनपती जा रही है। हम अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि उनके व्याकुल मन में निर्णय-क्षमता को सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करते रहें। इसके लिए हमें स्वयं को कठोरता से परखना होगा, क्योंकि अंतर्द्वंद्व किसी गृह युद्ध से कम नहीं, जिसमें क्षति केवल अपनी ही होती है। अंतर्द्वंद्व की चपेट में आए लोगों का दूसरे भी लाभ उठाने का प्रतिकूल प्रयास करते रहते हैं। अच्छा हो, हम अपने अंदर के अंतर्द्वंद्व को पहचानें और यथोचित समय से ही उससे बाहर निकलने का प्रयास करें।

छाया श्रीवास्तव

सड़कों पर पशु-धन

डॉ. महेश परिमल

जो व्यक्ति मूक और हमारे लिए पूज्य पशुओं को सड़कों पर पसरने के लिए विवश करता है उसे भी अपराधी माना जाए

इन दिनों शायद ही ऐसा कोई शहर होगा, जो सड़कों के बीचों-बीच बेसहारा पशुओं से त्रस्त न हो, पर इस समस्या पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिसे हम पूजते हैं, वही आज सड़कों पर लावारिस हालत में है। उनकी इस स्थिति के लिए आखिर दोषी कौन है? गाय को विशेष पशु का दर्जा दिया जाए, इसके लिए गुजरात में आंदोलन चला था। उसमें एक की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे, पर जब यही गौमाता सड़कों पर होती है तो कोई आंदोलन नहीं होता। सड़कों पर पसरे पशुओं के कारण होने वाली मौतों की हम कैसे अनदेखी कर सकते हैं? क्या पशुओं का दोहन करके उन्हें बेसहारा या लावारिस छोड़ने वाला पशु-मालिक अपराधी नहीं है? उसे भी अपराधी मानना ही होगा जो मूक, निरीह और हमारे लिए पूज्य पशुओं को सड़कों पर पसरने के लिए विवश करता है। ये वे पशु हैं, जो यातायात के तमाम नियमों की रोज धज्जियां उड़ाते हैं। वे नगरपालिका, नगर-निगमों को चुनौती देते हैं।

क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांजी हाऊस में पशुओं को एक या दो सप्ताह तक रखा जाए और इसी बीच यदि पशु-पालक आ जाए तो उसे भारी जुर्माने और हिदायतों के बाद पशु सौंपा जाए। शेष पशुओं को शासन हस्तगत कर ले, उनके पालने की अलग व्यवस्था की जाए। उनके गोबर से खाद, गैस और बिजली के छोटे-छोटे प्लांट तैयार किए जाएं। गो-मूत्र को दवाओं के लिए भेजा जाए और दूध को बेचकर लाभ कमाया जाए। इस दिशा में एक ईमानदार सोच को सकारात्मक रूप से लागू किया जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं कि कई लोगों को रोजगार मिलेगा। खाद एवं खाना पकाने की गैस भी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरी ओर सड़कों पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा खत्म होगा। सड़कों का ही नहीं, जिंदगी का रास्ता भी आसान होगा।

कुछ भी करें, पर पशु-मालिक को केंद्र में अवश्य रखें। एक व्यक्ति या परिवार यदि उसके पशु से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका पूरा मुआवजा पशु-मालिक से वसूला जाए, ताकि दूसरों को सबक मिले। पशुओं की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन हम बेसहारा पशुओं के मालिकों की पूजा नहीं कर सकते। वे अपराधी हैं। नगर-पालिका, नगर-निगमों में बेसहारा पशु-मालिकों के खिलाफ कानून बनाए जाएं तो बेहतर होगा। शासन को भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना होगा। इन पशुओं से वोट नहीं मिलने वाला, क्या इसीलिए इन्हें बेसहारा घूमने दिया जाए, लोगों की भले ही जान जाती रहे। वैसे भी शहरों की कई सड़कें ऐसी हैं, जिन्हें सड़क कहने में शर्म आती है। उबड़-खाबड़ सड़कों, रोज की आपाधापी, बढ़ता प्रदूषण, उखड़ती सांसों के बीच यदि हमारे बलगम का रंग काला हो जाए तो आश्चर्य नहीं। उस पर रास्तों पर पसरे बेसहारा पशु हमें परेशानी में डाल रहे हैं, हमें भी बेसहारा कर रहे हैं। आप बेसहारा पशु को रास्ते से किनारे कर दें, पर पशु-मालिक पर बिल्कुल रहम न करें। वह अपराधी है, उसे पुलिस के हवाले करें, तभी हम एक अच्छे शहर की बुनियाद रख सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पटेल को बलि का बकरा न बनाइए

अनुच्छेद 370 को सरदार पटेल से जोड़कर पेश करने की कांग्रेसी मानसिकता निंदनीय है। 'नेहरू की जिद से जुड़ा था अनुच्छेद 370' शीर्षक से प्रकाशित शेरू थपलियाल का लेख स्थिति को स्पष्ट करता है। साफ समझ आता है कि इस हानिकारक अनुच्छेद के दृष्टा एवं सृष्टा नेहरू ही थे। उन्होंने ही शेख अब्दुल्ला को आश्वस्त किया था कि उसकी इच्छा के अनुरूप ऐसा प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने ही गोपालस्वामी आयंगार से इसकी ड्राफ्टिंग करवाई थी, किंतु बड़ी चालाकी दिखाते हुए वह स्वयं विदेश यात्रा पर चले गए और सरदार पटेल को अपने पीछे इसे संविधान सभा से पारित कराने की जिम्मेदारी सौंप गए। उन्हें पता था कि पटेल के कारण यह आसानी से पास हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। आयंगार द्वारा सभा पटल पर रखे जाते ही ज्यों ही बाबा साहब के मित्र हसरत मोहानी ने इसका विरोध शुरू किया, स्थिति को संभालने के लिए सरदार पटेल ने खड़े होकर कहा कि यह एक अस्थायी तथा संक्रमणकालीन व्यवस्था है। कश्मीर में युद्ध के हालात समाप्त होने के साथ ही यह भी खत्म हो जाएगा। उनके इस आश्वासन के बाद ही हसरत मोहानी ने अपना विरोध वापस ले लिया और 306ए पारित हो गया। बाद में यही 370 कहलाया। अब सोचने की बात यह है कि सरकार की ओर से इसकी शीघ्र समाप्ति का आश्वासन देने के बावजूद क्यों उस वचन का पालन नहीं किया गया? क्यों 70 साल इसे बनाए रखा गया? इस असत्यवादिता का दोष सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर है। आज जब सरदार पटेल के आश्वासन को भाजपा पूरा कर रही है, तब भी कांग्रेस विरोध कर रही है। थपलियाल ने सरदार पटेल के सचिव वी. शंकर की पुस्तक से कई प्रमाण देकर सरदार पटेल के 370-विरोधी चिंतन के सुबूत पेश किए हैं। उनकी बेटी मनुबेन की डायरी भी प्रकाशित हो चुकी है और उसमें भी अन्य कई पुष्टिकारक प्रमाण मिलते हैं।

अजय मित्तल, मेरठ

उचित नहीं विपक्ष का विरोध

देश के इतिहास में ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना भी नहीं कि गई थी। आज भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड हिंदुस्तान बन गया है। अब एक संविधान, एक निशान (ध्वज) और एक हिंदुस्तान से पूरे भारत देश में अपार खुशी की लहर दौड़ रही है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के बड़े-बड़े नेताओं को भी यह निर्णय और कार्य पसंद आया है। ऐसे में अब भी कुछ नेताओं का महज दिखावे के लिए विरोध करना उचित नहीं है। जिस विधेयक का विरोध किया जा रहा था उसके पक्ष में 370 मत पड़े और विपक्ष में मात्र 70 मत। इससे भी क्या उनको इसकी जरूरत और महत्व को नहीं समझना चाहिए? यदि पूर्वजों से कोई गलती हुई तो क्या बच्चों को उसे सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए था? नेताओं का आपसी द्वंद्व अवश्य हो सकता है, परंतु जहां देश की एकता और अखंडता की बात आए सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना जरूरी होता है। जनता अपनी तथा देश की रक्षा के लिए इन नेताओं को चुनकर सबसे बड़ी पंचायत में भेजती है। भारत सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। हमारे संविधान ने हम सब को समान अधिकार दिए हैं। फिर कश्मीर में भी इसी संविधान की आवश्यकता थी। अब वहां सही मायने में चहुंमुखी विकास संभव है। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था और भविष्य में भी रहेगा। अब विरोधियों को भी धीरे-धीरे अनुच्छेद 370 हटाने की जरूरत को समझ लेना चाहिए। अखंड भारत की पहचान दुनिया में मिशाल बने इसके लिए हम सब को मिलकर काम करने की जरूरत है।

आचार्य राम कुमार बघेल शास्त्री, पलवल

सावधान रहना होगा

अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। वह कश्मीर को हिंसा की आग में झुलसाने के लिए जी जान से जुट गया होगा। हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा। बेहतर यही होगा कि अलगाववादी किसी भी नेता को अभी कश्मीर में रिहा न किया जाए। कश्मीर में अमन और चैन की बहाली के लिए यह बेहद जरूरी है। यदि कोई आंदोलन करता है, हिंसा की कोशिश करता है या जन भावना को भड़काने की कोशिश करता है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाने की जरूरत है। दरअसल यह ताजा जख्म हैं जिसे भरने में समय लगेगा। जो कभी कश्मीर के बादशाह कहलाते थे आज वे अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर